हिन्दुस्तान पटना • शुक्रवार • 20 सितम्बर 2019 • 04

पैसा लेकर प्रोजेक्ट न बनाने वाली कंपनी पर शिकंजा

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने गुरुवार को मैसर्स अगरानी होम्स प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनी के खिलाफ महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। ग्राहकों से पैसा लेने के बावजूद सालों से प्रोजेक्ट शुरू न करने के आरोप में रेरा की दो सदस्यीय बेंच ने कंपनी के सभी निदेशकों पर बैंक खातों से कोई भी निकासी करने पर रोक लगा दी है।

रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा व एसके सिन्हा की बेंच ने गुरुवार को सुमन कुमार, शहवार बेगम, मनोज कुमार सिंह, नीलम सहाय, राजकुमार, चंदन कुमार सहित कई अन्य की शिकायतों पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। मैसर्स अगरानी होम्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स अगरानी होम्स रीयल मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर अपने कई प्रोजेक्टों में लोगों से बुकिंग के नाम पर पैसा लेने और फिर तय समय सीमा में कोई काम न करने की शिकायत की गई थी।

रेरा सदस्य आरबी सिन्हा के अनुसार कंपनी के दर्जनभर से अधिक प्रोजेक्टों में हजारों लोगों से बुकिंग राशि ली जा चुकी है। इसकी सैकड़ों शिकायतें रेरा को मिली थीं। बिल्डर ने काम तो शुरू नहीं किया पर उनके परिवार के चारों सदस्य बतौर निदेशक आठ-आठ लाख रुपये महीना वेतन ले रहे थे। वहीं, बिल्डर से प्रोजेक्ट पूरा करने का प्लान मांगा गया है।

रेरा की कार्रवाई

- अगरानी ग्रुप के एमडी व निदेशकों पर खातों से निकासी पर रोक
- बिल्डर से प्रोजेक्ट पूरा करने का प्लान मांगा गया है